सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 अग्रहायण 13, गुरुवार, शाके 1947–दिसम्बर 4, 2025 अंक 36
Vol. 77 Agrahayana 13, Thursday, Saka 1947–December 4, 2025 No. 36

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र
(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ1/12/एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में)

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता ऋचा (RICHA)(नया नाम)जो अभी इससे पूर्व ऋचा मेहता(RICHA MEHTA)(पुराना नाम) कहलाता था/कहलाती थी एवं जो कनिष्ठ लेखाकार (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में मुख्य अभियन्ता भूजल विभाग, विभाग जोधपुर (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी एतद्द्वारा –

1. स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे एवं दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम ऋचा मेहता (RICHA MEHTA) उपनाम (सिर्फ) को त्यागता/त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम ऋचा (RICHA) तथा उपनाम ग्रहण करता/करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्पश्चात् मेरे पूर्व उपनाम (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम ऋचा (RICHA) द्वारा जाना जाए।
2. उक्त मेरे निश्यम की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एतद् पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देना में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम ऋचा मेहता (RICHA MEHTA) तथा उपनाम (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में ऋचा (RICHA)के रूप में तथा उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा/करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम ऋचा (RICHA) उपनाम के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता/करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैनें अपने पूर्व नाम ऋचा मेहता (RICHA MEHTA) एवं नये नाम ऋचा (RICHA) का वर्णन किया है तथा दिनांक को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम ऋचा (RICHA) द्वारा जो पूर्व में ऋचा मेहता (RICHA MEHTA) कहलाती थी, हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी

1. पूनम कंवर, AAO II, 524, BJS, जोधपुर
2. किरण वर्मा, AAO II, Sarswati Nagar, Jodhpur

हस्ताक्षर

(नया नाम)– ऋचा (RICHA)

(पुराना नाम)– ऋचा मेहता(RICHA MEHTA)

प्रतिहस्ताक्षर

सूरज भान सिंह

मुख्य अभियन्ता

भू जल विभाग, जोधपुर

23950

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।